न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 23/2018

1. रामनिवास पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल चाचान उम्र 75 वर्ष निवासी वार्ड नं. 17 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नगरपालिका भादरा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भादरा।
2. राजकुमार पुत्र श्री नन्दलाल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न. 21 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः— श्री सन्तलाल तिवाड़ी अधिवक्ता अपीलांट

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—2

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांकः— 16/01/2026

निर्णय

अपीलांट रामनिवास पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल चाचान निवासी वार्ड नं0 17 भादरा द्वारा विरूद्ध अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भादरा के आदेश क्रमांक नपाभा/निर्माण/2018—19/1602—03 दिनांक 04.05.2018 क्रमांक जिसके द्वारा नगरपालिका भादरा ने रेस्पोडेन्ट संख्या—2 राजकुमार को भवन निर्माण आज्ञा दी गई को अपास्त व निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलान्ट के पिता के समय का एक रिहायशी मकान मौहल्ला छानी दरवाजा वार्ड नं. 18 मे स्थित है जिसका पट्टा बीकानेर डीविजन कमीश्नर द्वारा 01.04.1954 को अपीलान्ट के पिता महावीर प्रसाद व शंकरलाल के नाम से जारी किया हुआ है। पट्टे के पश्चिमी और की जगह पहले आम गुवाड़ हुआ करती थी, जो अपीलान्ट व आस पास के लोगों के चौक के रूप मे काम मे आती रही। अपीलान्ट ने अपने मकान के पश्चिमी तरफ दो बड़े बड़े जंगले लगा रखे है। पहले एक [illegible] की जगह गेट हुआ करता था, जो अन्दर की तरफ अब भी कायम है। गेट व जंगलो से अपीलान्ट के मकान मे सन् 1954 से बिना किसी बाधा व रूकावट के हवा, रोशनी, धूप इत्यादी आती रहती है। अपीलान्ट पश्चिमी जगह को चौक के रूप मे निरन्तर काम मे लेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:38:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगरपालिका से षडयन्त्र कर दिनांक 31.12.2012 को अपीलान्ट के मकान के पश्चिमी ओर की जगह की शास्वत लीज फर्जी तरीके से जारी करवाली। अपीलान्ट को पता लगने पर शाश्वत लीज को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करने के लिए अपीलान्ट ने सिविल न्यायाधीश भादरा मे एक वाद कर रखा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त वाद मे दिनांक 06.06.2018 को जवाब दावा पेश करने पर अपीलान्ट को यह भी ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगरपालिका भादरा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दिनांक 04.05.2018 को अपीलान्ट के मकान के पश्चिमी ओर की जगह मे निर्माण हेतु ईजाजत तामिर जारी कर दी है, जिसे अपीलान्ट निम्न आधार पर चुनौती दे रहे है। अपीलान्ट के पिता महाबीर प्रसाद की सन् 1971 मे मृत्यु हो चुकी है।

(i) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नगरपालिका भादरा ने अपीलान्ट के पश्चिमी ओर की जगह जिसमे अपीलान्ट के जंगले गैट खुलते है, मे तामिर के लिए गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे दिनांक 04.05.2018 को निर्माण आज्ञा पत्र जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है।

(ii) अपीलान्ट के पट्टे में भी पश्चिम की ओर दरवाजा रखने की स्वीकृती दी हुई है। पश्चिमी ओर की जगह जिसमे अपीलान्ट के दरवाजे, जंगले खुलते है, अपीलान्ट के आवागम के काम मे आ रही थी, मे नगरपालिका भादरा को ईजाजत तामीर जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नही था।

(iii) रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने ईजाजत तामीर जारी करने से पूर्व विवादित जगह का मौका निरीक्षण नही किया। अपीलान्ट या पड़ौस के व्यक्तियो से कोई आपत्ती नही मांगी गई। आपत्ती सूचना का नोटिस सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नही किया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या–2 को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए गोपनीय तरीके से कानून की अवहेलना कर झूठी कागजी कार्यवाही कर ईजाजत तामीर जारी कर दी, जबकि अपीलान्ट के पश्चिमी ओर की जगह जहां अपीलान्ट के जंगले गैट खुलते है एवं जगह आवागमन के काम मे आ रही है, मे ईजाजत तामीर जारी करने का नगरपालिका भादरा को नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत क्षैत्राधिकार प्राप्त नही था।

(iv) रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने नगरपालिका [illegible] चौक की जगह का पट्टा प्राप्त किया था एवं रिहायशी भूमि दिखाकर निर्माण कार्य करने हेतु ईजाजत तामीर ली थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने ईजाजत तामीर दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

04.05.2018 की सरासर अवहेलना करते हुऐ उक्त जगह मे भू उपयोग परिवर्तन करवाये बिना पश्चिमी तरफ एक दुकान का निर्माण कर लिया। रिहायशी जगह दिखाकर एवं रिहायशी जगह के हिसाब से ईजाजत तामीर लेकर उसमे बिना भू उपयोग परिवर्तन करवाये बिना व्यवसायिक निर्माण कर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने ईजाजत तामीर आदेश दिनांक 04.05.2018 की स्पष्ट तौर पर अवहेलना की है तथा नगरपालिका भादरा को आर्थिक रूप से लाखों रूपये का नुकसान पहुंचाया है। उक्त समस्त कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या–1 नगरपालिका भादरा के अधिशाषी अधिकारी की रेस्पोडेन्ट संख्या–2 से मिलीभगत कर किया गया है।

(v) रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा गैर कानूनी रूप से नगरपालिका भादरा से इजाजत तामीर ली गई है तथा रिहायशी रूप मे ईजाजती तामीर लेकर उसका दुरूपयोग कर उस जगह मे व्यवसायिक निर्माण किया गया है। उक्त ईजाजत तामीर कायम रहने से अपीलान्ट के अधिकारो को क्षति पहुंचती है तथा नगरपालिका भादरा को भी आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। अपीलान्ट ईजाजत तामीर दिनांक 04.05.2018 क्रमांक नपाभा/निर्माण/ 2018–19/1602–03 को अपास्त व निरस्त करवाने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा ईजाजत तामीर का उलंघन कर व्यवसायिक रूप से निर्माण की गई दुकान को तुड़वाने का अधिकारी है।

(vi) अपीलान्ट को निर्माण आज्ञा पत्र की दिनांक 06.06.2018 को प्रथम बार जानकारी हुई है, इसलिए अपील अपीलान्ट जानकारी के दिन से अन्दर मियाद है व श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार की व उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि नगरपालिका भादरा का इस सम्बन्ध मे रिकार्ड तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पक्ष मे जारी की गई निर्माण आज्ञा क्रमांक नपाभा/निर्माण/2018–19/1602–03 दिनांक 04.05.2018 को अपास्त व निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा निर्माण आज्ञा पत्र दिनांक 04.05.2018 की अवहेलना कर व्यवसायिक रूप मे तामीर की दुकान को तुड़वाया जावे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के खिलाफ आदेश जारी फरमाया जावे कि वह उक्त निर्माण आज्ञा दिनांक 04.05.2018 की अवधि मे आईन्दा और कोई निर्माण कार्य नहीं करे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:46 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या–01 एंव अधीनस्थ न्यायालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भादरा से अपीलाधीन आदेश की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

ओर से श्री हवासिंह पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भादरा जिला हनुमानगढ़ में जैरकार मूल दीवानी प्रकरण संख्या 33/2024(57/2018) अनवान रामनिवास बनाम राजकुमार में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2025 को घोषणात्मक अनुतोष एंव स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया है।

इस संबध में तहसीलदार भादरा से बिन्दुवार मौका रिपोर्ट प्राप्त गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार–(1) राजकुमार द्वारा भूमि का अवासीय उपयोग किया जा रहा है। (2) अपीलांट रामनिवास का मकान बना हुआ है मकान में रोशनी आदि के लिए 02 जंगले(खिड़की) आदि निकाले हुए है। (3) अपीलांट द्वारा वर्तमान में मकान में रोशनी हेतु निकाले गये खिड़की, जंगले आदि का उपयोग–उपभोग प्रथम दृष्टया देखनें में लगता है कि जब से मकान बना है तब से किया जा रहा है। (4) अपीलांट के मकान के उपयोग में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 राजकुमार द्वारा कोई अवरोध नहीं लगाया हुआ है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार योग्य होनें से खारिज की जाती है एंव इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2018 को जारी स्थगन आदेश ("विवादित स्थल पर किसी प्रकार के निर्माण आदि नहीं किया जावे। मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे") को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 16/1/26 को सरेइजलास सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:38:46 IST
Reason: SelfAttested